

Ref: BBFCB/BSE/2025-26

June 4, 2025

To,
BSE Ltd.
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai-400 001

Scrip Code No.:511501

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Publication to the Stock Exchange

Pursuant to the provisions of the Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of Newspaper publication related to 'Information regarding 33rd Annual General Meeting to be held on Friday, July 04, 2025 at 12:00 P.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) and Notice of Book Closure' published in English and Hindi Newspaper in "Financial Express" and "Jan Satta" respectively, on July 04, 2025.

Kindly acknowledge the receipt and take it on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited

Baldev Garg
Company Secretary
M. No. A73249

Encl. : as above

म्याथालय प्रधान म्याथाधीन कुटुम्ब म्याथालय, बेकरोरि (साथलुह)

मूल पास संख्या 228 / 2025

सौजन कुमार , आवेक

क्रमां

सुमन कुमारी ...विषयी

नोटिशन

सुमन कुमारी, पिता- अभू मया, पात-रीशन कुमार, बरामान पता-नगरीपुना, मकान सं०-333, थाना-स्वराज नगर, उत्तर पश्चिम दिशि, भित- 110036 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक को ने आपके बिम्बद तनाक हेतु दिव्द विवाह अधिनियम 1955 की धारा-13(1)(1-a)(b) के तहत मूल पास दापर किया गया है जिनमें आपको नाबालत एवं निम्नलिठ डाक द्वारा सम्मन निम्न हो चुका है, इसके पश्चात भी आप न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अतः आपको नीचे नोटिशन के प्रकाशन के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.06.2025 को समय 10:30 बजे सुबह मेरे न्यायालय में स्वंय अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर जबाब दाखिल करें, अन्यथा उक्त मुकदमा में आपकी अनुपस्थिति में एक्तराफा मुमर्दाब किया जायेगा। इसे आवश्यक समझा जाय।

आम दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया।

प्रधान म्याथाधीन कुटुम्ब म्याथालय, बेकरोरि।

प्ररुप संख्या आईएनसी-26
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार करें)

केन्द सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेर कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मागले में

...आवेक कंणी/याचिककर्ता
एतद्द्वारा सांजनिष्ठ सूचना दी जाती है कि यह आवेक कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंणी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 27 मई, 2025 को** आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विेशण प्रस्ताव के संदर्भ में कंणी के केमेरेडस ऑफ एक्सीएलम नेबरहला की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंणी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रका फाइल कर **एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक समय पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विवेध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपाति क्षेत्रीय निवेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, दुसरा तल, पश्चिम दीनपदात अंबोयड मगन, सीजीओ कोमलेस, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेक कंणी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी।

द्वितीय तल, (परिषद भवन) वर्ल्डमार्क 1, एरासिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली-110037

आवेक के लिए और आवेक की और से **डीसीएम श्रीराम एक्का फूड्स लिमिटेड** हस्ता/-

दिनांक: 03.06.2025 **कुपिंदर कुमार कालि** (निगम) स्थान: नई दिल्ली **सीआईएन**:- 00980318

हरीयाली रुरल वेंचर्स लिमिटेड
(सीआईएन: U51900DL2007PLC171615)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **हिंदीय तल, (परिषद भवन) वर्ल्डमार्क 1, एरासिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली-110037**

आवेक के लिए और आवेक की और से **डीसीएम श्रीराम एक्का फूड्स लिमिटेड** हस्ता/-

दिनांक: 03.06.2025 **कुपिंदर कुमार कालि** (निगम) स्थान: नई दिल्ली **सीआईएन**:- 00980318

प्ररुप संख्या आईएनसी-26
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार करें)

केन्द सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेर कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मागले में

...आवेक कंणी/याचिककर्ता
एतद्द्वारा सांजनिष्ठ सूचना दी जाती है कि यह आवेक कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंणी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 28 मई, 2025 को** आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विेशण प्रस्ताव के संदर्भ में कंणी के केमेरेडस ऑफ एक्सीएलम नेबरहला की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंणी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रका फाइल कर **एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक समय पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विवेध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपाति क्षेत्रीय निवेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, दुसरा तल, पश्चिम दीनपदात अंबोयड मगन, सीजीओ कोमलेस, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेक कंणी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी।

द्वितीय तल, (परिषद भवन) वर्ल्डमार्क 1, एरासिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली-110037

आवेक के लिए और आवेक की और से **हरीयाली रुरल वेंचर्स लिमिटेड** हस्ता/-

दिनांक: 03.06.2025 **बिनीन कुमार वृना** (निगम) स्थान: नई दिल्ली **सीआईएन**:- 10191465

प्रप्रत्र संख्या आईएनसी-26
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार करें)

केन्द सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (अ) के मागले में

स्पेक्ट्रम किएणसम प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U74890NP1994PTC057838)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: नए नंबर 7-डी, सीजीएनएस एवरशाइन बिल्डिंग नंबर 12, विकास पुरी, दिल्ली-110018 नई, के मागले में

...आवेक कंणी/याचिककर्ता
एतद्द्वारा सांजनिष्ठ सूचना दी जाती है कि यह आवेक कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंणी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सुबरा, 24 जून, 2025 को** आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विेशण प्रस्ताव के संदर्भ में कंणी के केमेरेडस ऑफ एक्सीएलम नेबरहला की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंणी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रका फाइल कर **एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक समय पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विवेध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपाति क्षेत्रीय निवेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेट कार्य मंत्रालय, नई-2 विंग, दुसरा तल, पश्चिम दीनपदात अंबोयड मगन, सीजीओ कोमलेस, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेक कंणी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी।

पेट नंबर 7-डी, सीजीएनएस एवरशाइन अपार्टमेंट, विकास पुरी, दिल्ली-110018

आवेक के लिए और आवेक की और से **स्पेक्ट्रम किएणसम प्राइवेट लिमिटेड** हस्ता/-

दिनांक: 03.06.2025 **भुपिंदर पाल सिंह** (निगम) स्थान: नई दिल्ली **सीआईएन**:- 000537341

सवारी डिब्बा कारखाना

निविदा सूचना सं. आईसीएफ/पीसीएएमए/ईओटी/22ए/2025 दिनांक: 02.06.2025 ई-निविदाओं के लिए निम्नलिखित शुद्धितर आईआरडीपीएस वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। फॉर्म से अनुरोध है कि वे www.irps.gov.in पर लॉग इन करें और इन निविदाओं के लिए कोटेशन दें। इन निविदाओं के लिए मेन्सुअल कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदा के लिए समापन और खुलने का समय **14.15 बजे** है। निविदा सूचना का हिंदी संस्करण वेबसाइट **"www.icf.indianrailways.gov.in"** पर उपलब्ध है।

शुद्धितर 19

क्र.सं.	निविदा सं.	प्राप्तता/अनुपालन/उत्तरदायित्व के अंगत वाणिज्यिक अनुपालन के अतिरिक्त।	कुपया आईआरडीपीएस वेबसाइट में निविदा दर्तावेजें देखें।
1	02250022	प्राप्तता/अनुपालन/उत्तरदायित्व के अंगत वाणिज्यिक अनुपालन के अतिरिक्त।	कुपया आईआरडीपीएस वेबसाइट में निविदा दर्तावेजें देखें।

ऋण वसूली अधिकरण मुंबई (डीआरसी 3)

पहली मंजिल, एमटीएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, सेक्टर-30 ए वाशी, नवी मुंबई-400703

मामला संख्या: टीए/293/2023

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन

प्रदर्शनी संख्या: 90

यूको बैंक
बनाम
बैंक ऑफ बड़ौदा

सेवा में,

(1) मेसर्स गौरव कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग लिमिटेड प्लॉट नंबर 10, 10वीं रोड नूतन लक्ष्मी को-ऑप एएसजी सोसाइटी जेपीबीडी स्क्रीम जुहू मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र-400049

(2) मेसर्स इंडोसिन ट्रेडिंग: 46 रोड वेस्टर्न रोड एक्स० फोर्ट मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र-400023

साथ ही: 1313 अविश्वर 38 नेहरू प्लेस नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली-110119

समन

जैसा कि, टीए/293/2023 दिनांक 15.05.2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।

जैसाकि माननीय अधिकरण # 12402662/- (संबंधित दर्तावेजों सहित) को ऋण वसूली हेतु दायर किये गये उक्त आवेदन पर समन/सूचना जारी करने में प्रसन्न है। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-

(i) समन की सेवा की तिथि से तीन दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि वांछितकर्ताओं द्वारा प्राप्तिगत राहत क्यों न प्रदान की जाती;

(ii) उन संघितियों या परिसंघितियों का विवरण दें जो कि आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संघितियों के अतिरिक्त हैं;

(iii) जगति कि संघित की कुर्की का आवेदन लखित है, आप आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संघितियों या परिसंघितियों को छोड़ने या सीपने से वंचित रहेंगे;

(iv) उपरोक्त की सामान्य प्रक्रिया को चेक कर आप ऐसी संघितियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, विक्रय, पट्टे या अन्य रूप में अंतरण नहीं करेंगे;

(v) आप सुरक्षित परिसंघितियों या अन्य परिसंघितियों और संघितियों की सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों में बिंदी से प्राप्त बिंदी आप का हिसाब देने और ऐसी बिंदी आप को उस बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखें गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनके पास ऐसी परिसंघितियों पर सुरक्षा हित है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति आवेदक को दें तथा 25.7.2025 को दोपहर 12:15 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आपको को सुनवाई और निर्णय एकपक्षीय रूप से लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के साथ यह दिनांक: 21.5.2025 को जारी।

समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

हस्ता/-

रजिस्ट्रार मुंबई, डीआरटी नंबर 1

मोहर

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

भारत एक्शन फाइनेंस एंड क्मोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड
(सीआईएन- L67120DL1992PLC90438)
पंजीकृत कार्यालय: 503, गैलरि इमारत, 3 गैलरीयन पार्क, कान्टर ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
रेजिस्ट्रार नंबर: 011-49809090; ईमेल: commodities@bharatbushan.com, वेबसाइट: www.bhbfinestments.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / ऑन आंडिडो-विजुअल माध्यमों (ओपीएन) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी और बही बंदी की सूचना

1. शेयरधारक ध्यान दें: भारतीय बूथण फाइनेंस एंड क्मोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 04 जुलाई, 2025 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से भारतीय मानक समय ("आईएसटी") पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित विनियम बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिषद संख्या 09/ 2024 और सीबी द्वारा जारी परिषद संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएफडीपीओडी-2/पी/सीआईएन/24/133 दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 ("सीबी परिषद"), साथ ही एनसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना में निम्नलिखित व्याख्या का संघानत करने के लिए, आयोजित की जाएगी। सदस्य बीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेंगे। बीसी/ओवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखापरिचलित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बंदी की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं, केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर कंपनी या डिजिटल/डिजिटलिटी प्रतियोगियों(के) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.bhbinvestments.in, स्टॉक एक्सचेंज बीबीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और ई-वोटिंग एप्लीसी नेगेशन लिमिटेड लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. **ईमेल पते और बैंक खात विवरण पंजीकृत/अपडेट करने की प्रविधि :**

(क) **भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए :**

कुपया सभी आईएनएस-ए को आवश्यक दर्तावेजों के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "503 गैलरी हाउस 3, गैलरीयन पार्क, नई दिल्ली-110001" पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर कंपनी को भेजें। फॉर्म आईएनएस-ए नंबर की वेबसाइट www.bhbinvestments.in पर उपलब्ध है।

(ख) **ईमैल फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए :**

कुपया अपने डिजिटली पारिधिष्टित (डीपी) के साथ अपने ईमेल पते और/या या बैंक खाते का विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

4. कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी और एजीएम की सूचना में निम्नलिखित व्याख्या ई-वोटिंग के माध्यम से की जा सकता है। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। रिपोर्ट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और प्रविधि, बीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा और एजीएम में ई-वोटिंग, ईमेल फॉर्म या भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। बीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ईमेल पते में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी।

5. कंपनी के निदेशन तहत न 08 मई, 2025 को आयोजित वार्षिक बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.80 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, तो घोषणा के तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा और सेबी के नियमों के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी किया जाएगा जब वे अपना थायरी खाता संख्या (टीन), बैंक विवरण (बैंक पता, मोबाइल नंबर और ईमेल सहित), बैंक खाता जानकारी, नमूना हस्ताक्षर और अपने संबंधित भौतिक कोडियों के लिए अपना आवश्यक विवरण प्रदान करेंगे।

आय कर अधिनियम 1961 ("आईटी ऐक्ट") के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किये गये अथवा संबंधित लाभांश अंशधारकों के हाथों में करग्रहण होगी। इसलिए, कंपनी को सदस्यों को अंतिम लाभांश का भुगतान करने समय धोत पर कर कटौती करनी होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे विभिन्न श्रेणियों के लिए धोत पर कर कटौती की निष्पत्ति दरों के लिए आय कर अधिनियम 1961 का ध्यान दें। धोत पर कर कटौती की दरें शेयरधारकों की आयवर्गीय स्थिति, शेयरधारकों की श्रेणी, रिटर्न दायित्व करने की स्थिति और आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रस्तुत किए गए दर्तावेजों पर आधारित होंगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 20 जून, 2025 को या उससे पहले कंपनी के ईमेल पते यानी commodities@bharatbushan.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को ईमेल पते यानी rtca@analkit.com पर आवश्यक कर संबंधी दर्तावेजें/घोषणाएं जमा करायें।

6. लाभांश और उसके भुगतान के लिए बंदी बंद करने और रिकॉर्ड तिथि की सूचना: एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बही शनिवार, 28 जून, 2025 से शुक्रवार, 04 जुलाई, 2025 तक (दोनों दिनों सामंजसिक रूप से) बंद रहेंगी, ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पत्राति नवीकृत की जा सके, यदि पंजीकरण में घोषित किया जाता है। अंतिम लाभांश उक्त नवीकृत की दिया जाएगा, जिसका नाम शुक्रवार, 27 जून, 2025 ("रिकॉर्ड तिथि") के कार्य दिवस के अंत में सदस्यों के रजिस्ट्रार में दिखाई देता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि या एजीएम के दौरान वोटिंग की जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

भारत ब्रूथण फाइनेंस एंड क्मोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी और से

हस्ता/-

निष्ठा अग्रणी

डिआईएन: 00001875

निर्मांक: 04 जून 2025

स्थान: नई दिल्ली

सरफासी ऐक्ट के तहत धारा 13(2) में मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय: राबिका, हिंदीय तल, 11वीं मंजिल, टावर ए पेनसुला बिल्डिंग नंबर 7, गणतंत्र कर्म मार्ग, लोक पुरे, मुंबई-400013

राष्ट्रा का कार्यालय: एनडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, हिंदीय तल, हरि कोमलेस, निम्कट की कोमिडि होटल, वेद मार्ग के पीछे, निम्पित बूड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

आप निम्नलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा गारंटियों ने अपनी अनधिकृतता (प्रतिभूति) बैंक रखकर एनडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण/वित्तीय सुविधा (ए) प्राप्त की थी, तथा उनके प्रतिभूतमान में चुक की है। आपको चुकों के फलस्वरूप आपका ऋण अनागत आसित के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। तदुपरांत, कम्पनी ने वित्तीय आसितों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसकी विषयवस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको सूचना देने के वैकल्पिक उपाय के रूप में प्रकाशित की जा रही है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटियों, ऋणों, प्रतिभूतियों, बकाया राशियों, धारा 13(2) के तहत मांग सूचना, सूचना में दावा की गई राशि का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

(1) कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम और पता : (2) ऋण खाता संख्या : (3) ऋण की (4) मांग सूचना की तिथि : (5) दायित्व राशि भारतीय रुपयों में : (6) प्रतिभूतियों का विवरण : (7) बकाय की तिथि

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम : 1 – मेसर्स एसके आरएन वरस 12 राधानगर नगर सीएलवाई पी- 111 12 राधानगर नगर एलएचवाई पी- 111 अजमेर रुकनात आगरा आगरा-282007 उत्तर प्रदेश और अहोरात्रक अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु कर्जदारों करने को ब्याज होगा। (कर्जदार का ध्यान, प्रशासकों आसितों को चुकाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।) कृपया नोट करें कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(3) के निम्नवर्ती में केवलद्वारा हमारी संस्थाओं के बिना उल्लेखित प्रत्यक्ष आसितों नहीं, पट्टा अथवा अन्य प्रकार हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं तथा धारा 13(3) का उल्लेखन अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी प्रमुखतः के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विष्णु आनंद (97110386)

हस्ता/- **एनडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड**
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : लखनऊ, तिथि : 04-06-2025

आप कर्जदार तथा सह-कर्जदारों तथा गारंटियों से ऊपर वर्णित पूरी मांग राशि उपरिनिष्ठ अनुसार ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रूप पर अहोरात्रक अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु कर्जदारों करने को ब्याज होगा। (कर्जदार का ध्यान, प्रशासकों आसितों को चुकाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।) कृपया नोट करें कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(3) के निम्नवर्ती में केवलद्वारा हमारी संस्थाओं के बिना उल्लेखित प्रत्यक्ष आसितों नहीं, पट्टा अथवा अन्य प्रकार हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं तथा धारा 13(3) का उल्लेखन अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी प्रमुखतः के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विष्णु आनंद (97110386)

हस्ता/- **एनडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड**
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : लखनऊ, तिथि : 04-06-2025

विशेष परिवालन विधान: एचडीएसी बैंक लिमिटेड, भुलत, गुलाम भवन, 6, बहादुर शाह जगह मार्ग, अंडेटीओ, नई दिल्ली 110002

मांग सूचना - सफेदी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत

एतद्द्वारा सांजनिष्ठ सूचना दी जाती है कि यह आवेक कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंणी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 27 मई, 2025 को** आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विेशण प्रस्ताव के संदर्भ में कंणी के केमेरेडस ऑफ एक्सीएलम नेबरहला की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंणी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रका फाइल कर **एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक समय पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विवेध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपाति क्षेत्रीय निवेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांफिरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, दुसरा तल, पश्चिम दीनपदात अंबोयड मगन, सीजीओ कोमलेस, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेक कंणी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी।

द्वितीय तल, (परिषद भवन) वर्ल्डमार्क 1, एरासिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली-110037

आवेक के लिए और आवेक की और से **डीसीएम श्रीराम एक्का फूड्स लिमिटेड** हस्ता/-

दिनांक: 03.06.2025 **कुपिंदर कुमार कालि** (निगम) स्थान: नई दिल्ली **सीआईएन**:- 00980318

भारत एक्शन फाइनेंस एंड क्मोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड
(सीआईएन- L67120DL1992PLC90438)
पंजीकृत कार्यालय: 503, गैलरी इमारत, 3 गैलरीयन पार्क, कान्टर ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
रेजिस्ट्रार नंबर: 011-49809090; ईमेल: commodities@bharatbushan.com, वेबसाइट: www.bhbfinestments.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / ऑन आंडिडो-विजुअल माध्यमों (ओपीएन) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी और बही बंदी की सूचना

1. शेयरधारक ध्यान दें: भारतीय बूथण फाइनेंस एंड क्मोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 04 जुलाई, 2025 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से भारतीय मानक समय ("आईएसटी") पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित विनियम बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिषद संख्या 09/ 2024 और सीबी द्वारा जारी परिषद संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएफडीपीओडी-2/पी/सीआईएन/24/133 दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 ("सीबी परिषद"), साथ ही एनसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना में निम्नलिखित व्याख्या का संघानत करने के लिए, आयोजित की जाएगी। सदस्य बीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेंगे। बीसी/ओवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखापरिचलित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बंदी की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं, केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर कंपनी या डिजिटल/डिजिटलिटी प्रतियोगियों(के) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.bhbinvestments.in, स्टॉक एक्सचेंज बीबीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और ई-वोटिंग एप्लीसी नेगेशन लिमिटेड लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. **ईमेल पते और बैंक खात विवरण पंजीकृत/अपडेट करने की प्रविधि :**

(क) **भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए :**

कुपया सभी आईएनएस-ए को आवश्यक दर्तावेजों के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "503 गैलरी हाउस 3, गैलरीयन पार्क, नई दिल्ली-110001" पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर कंपनी को भेजें। फॉर्म आईएनएस-ए नंबर की वेबसाइट www.bhbinvestments.in पर उपलब्ध है।

(ख) **ईमैल फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए :**

कुपया अपने डिजिटली पारिधिष्टित (डीपी) के साथ अपने ईमेल पते और/या या बैंक खाते का विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

4. कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी और एजीएम की सूचना में निम्नलिखित व्याख्या ई-वोटिंग के माध्यम से की जा सकता है। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। रिपोर्ट